उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
सं0 608/2011/XXVII(9)/स्टाम्प–42 /2008
दिनांक:: देहरादून :: सितम्बर, 28, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) 74 तथा 75 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड (उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942) में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते है :–

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली 1942) (संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली 1942) (संशोधन) नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 156 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड (उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942) जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 156 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
156. गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिक्री, लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के औसत पर आधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विक्रेता की बिक्री अधिक हो जाए और उसके पास स्टाम्पों का स्टाक एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन,	156. गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिक्री, लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के औसत पर आधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विक्रेता की बिक्री अधिक हो जाए और उसके पास स्टाम्पों का स्टाक एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन,

D:/Entertainment tax/Gair Sarkari Vikreta

जिस दिन, कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकि दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीदने दिया जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि रूपये दस हजार से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विकेता को नहीं दिया जाएगा।	जिस दिन, कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकि दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीदने दिया जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि रूपये पन्द्रह हजार से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विकेता को नहीं दिया जाएगा।

नियम 161 का संशोधन

3. मूल नियम के नियम 161 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
161. प्रत्येक अनुज्ञप्त विकेता, जो सरकारी कोषागार से तत्काल धन की अदायगी द्वारा गैर न्यायिक न्यायालय फीस या प्रतिलिपि स्टाम्पों को क्रय करता है, स्टाम्पों के प्रत्यक्ष मूल्य के 1.00 रूपये प्रतिशत की छूट पर उसे प्राप्त करेगा। यदि अनुज्ञेय छूट में रूपया का भाग शामिल है, तो ऐसे किसी भाग, जो पांच पैसे के नजदीकी न्यूनतम गुणक के आधिक्य में हो, की उपेक्षा कर दी जाएगी; परन्तु कोई छूट नहीं दी जायेगी। (क) स्वयं केता द्वारा प्रदान किये गये किसी धन पर आपूर्ति किये गये स्टाम्पों पर, (ख) यदि 5 रू0 से अन्यून कुल मूल्य के स्टाम्प एक बार नहीं क्रय किये जाते हैं, (ग) केवल एक रूपये के भाग पर, तथा (घ) आसंजक राजस्व स्टाम्पों के क्रय के लेखा पर	161. प्रत्येक अनुज्ञप्त विकेता, जो सरकारी कोषागार से तत्काल धन की अदायगी द्वारा गैर न्यायिक न्यायालय फीस या प्रतिलिपि स्टाम्पों को क्रय करता है, स्टाम्पों के प्रत्यक्ष मूल्य के 1.00 रूपये प्रतिशत की छूट पर उसे प्राप्त करेगा; प्रतिबन्ध यह है कि गैर न्यायिक स्टाम्पों के 1000 रूपये मूल्य तक के स्टाम्पों के क्रय पर 2 प्रतिशत की छूट अनुज्ञप्त विकेता को अनुमन्य होगी। यदि अनुज्ञेय छूट में रूपया का भाग शामिल है, तो ऐसे किसी भाग, जो पांच पैसे के नजदीकी न्यूनतम गुणक के आधिक्य में हो, की उपेक्षा कर दी जाएगी; परन्तु उस पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। (क) स्वयं केता द्वारा प्रदान किये गये किसी धन पर आपूर्ति किये गये स्टाम्पों पर, (ख) यदि 5 रू0 से अन्यून कुल मूल्य के स्टाम्प एक बार नहीं क्रय किये जाते हैं, (ग) केवल एक रूपये के भाग पर, तथा (घ) आसंजक राजस्व स्टाम्पों के क्रय के लेखा पर

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं0 608(1)/2011/XXVII(9)/स्टाम्प–42/ 2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिरिक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड
5. न्याय/विधायी अनुभाग।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी। बागेश्वर
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100–100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)
प्रभारी सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification NO. 608/2011 / XXVII(9) /Stamp-42 / 2008 dated, SEPT 28, 2011 for general information.

Uttarakhand Shasan
VITTA ANUBHAG-9
NO. 608/2011 / XXVII(9)/ Stamp-42 /2008
Dehradun :: Dated: : SEPT. 28 , 2011

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1) of section 10 and section 74 and 75 of the Indian stamp Act, 1899 (Central Act no 2 of 1899) read with section 21 of General clauses Act 1897 (Central Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand (U.P stamp Rules 1942):-

The Uttarakhand (The Uttar Pradesh stamp Rules 1942)(Amendment) Rules 2011.

Short little and commencement **1.** (1) These rules may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh stamp Rules 1942)(Amendment) Rules 2011.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of Rule 156 **2.** In rule 156 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh stamp Rules 1942), herein referred to as the "Principal Rules", for the existing rule in column-1 below, the following rule in column-2 shall be substituted; namely-

Column–1	Column–2
Existing rule	**Hereby substituted rule**
156. Licensed vendors shall be allowed to purchase stamps from the local or branch depot ordinarily once a week, equal to their estimated demand for one week, based on the average sales of the last few weeks. If after a weekly purchase, the sales of any vendor have been heavy and his stock have run short within the week, he shall be allowed to purchase on any other day of the week when the treasury is open, equal to the probable consumption for remaining part of the week. Provided that stamp paper of value	156. Licensed vendors shall be allowed to purchase stamps from the local or branch depot ordinarily once a week, equal to their estimated demand for one week, based on the average sales of the last few weeks. If after a weekly purchase, the sales of any vendor have been heavy and his stock have run short within the week, he shall be allowed to purchase on any other day of the week when the treasury is open, equal to the probable consumption for remaining part of the week. Provided that stamp paper of value of more than Rs. Fifteen Thousand shall not be

of more than Rs. Ten Thousand shall not be given to licensed stamp vendor.	given to licensed stamp vendor.

Amendment of Rule 161

2. For the existing rule 161 of the said "Principal Rules", given in column-1 below, the following rule in column-2 shall be substituted; namely-

Column–1	**Column–2**
Existing rule	**Hereby substituted rule**
161. Every licensed vendor who purchases non-judicial, court fee or copy stamps from the Government treasury by payment of ready money shall receive the same at a discount of Re. 1.00 percent of the face value of the stamps. If the discount permissible contains a fraction of a rupee, any such fraction, in excess of the nearest lower multiple of five paise shall be ignored: Provided that no discount shall be allowed: (a) on any stamps supplied on any material furnished by the purchaser himself, (b) unless stamps of an aggregate value of not less than Rs. 5 are purchased at one time, (c) on the fraction of only one rupee, and on account of purchase of adhesive revenue stamps.	161. Every licensed vendor who purchases non-judicial, court fee or copy stamps from the Government treasury by payment of ready money shall receive the same at a discount of Re. 1 percent of the face value of the stamps. Provided that a discount of Rs 2 percent on the purchase of Non-Judicial stamp upto Rs. 1000 shall be admissible to the licensed vendor If the discount permissible contains a fraction of a rupee, any such fraction, in excess of the nearest lower multiple of five paise shall be ignored: Provided that no discount shall be allowed: (a) on any stamps supplied on any material furnished by the purchaser himself, (b) unless stamps of an aggregate value of not less than Rs. 5 are purchased at one time, (c) on the fraction of only one rupee, and (d) on account of purchase of adhesive revenue stamps.

(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.